देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

# JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/bnnavaj/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 9 सितम्बर 2020

## राजस्थान में जनता के पैसे से पल रहे सफ़ेद हाथी!

### बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता श्री विनय बज से जुड़ा हुआ है मामला|

### केंद्र सरकार भ्रष्ट और नाकारा अधिकारियों को हटाने की कर रही तैयारी

केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मियों का पसीना छूट रहा है। खासतौर पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी, जिन्होंने अपनी सेवा के तीन दशक पूरे कर लिए हैं, केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनाल्टी नहीं है|

सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है, उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में, विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों 'एफआर' और सीसीएस (पेंशन) रूल्स-1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है|

डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के मुताबिक, सक्षम अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को एफआर 56(जे)/रूल्स-48 (1) (बी)ऑफ सीसीएस (पेंशन) रूल्स-1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है। बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को तीन माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें तीन महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस भी देने का नियम है|

### राजस्थान में भी है ऐसे कई भ्रष्ट और नाकारा अधिकारी,राजस्थान में पिछली भाजपा सरकार ने की थी पहल

भ्रष्ट और नाकारा अधिकारियों का बाहर का रास्ता दिखाने की पहल भारत सरकार और यू पी सरकार द्वारा की जा चुकी है|राजस्थान में भी पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऐसे निठल्ले,नाकारा अधिकारियों की छंटनी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये थे|राजस्थान सिविल सेवा के नियम 53 (पेंशन), 1996 के तहत अनुपयोगी अफसरों को सरकार सिस्टम से बाहर करने का प्रावधान है जिसके लिए 50 साल की आयु या 15 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों का संपूर्ण सर्विस रिकार्ड देखा जाना था परन्तु राजनैतिक कारणों से मामला आगे नहीं बढ़ा और फाईल ठन्डे बस्ते में चली गयी|



*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

## बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता श्री विनय बज भी नहीं जाते कार्यालय

ऐसा ही मामला सामने आया है राजस्थान राज्य विद्युत विपणन निगम लि. में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात श्री विनय बज का|वैसे तो श्री बज एस.टी.पी.एस.सूरतगढ़ में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात थे परन्तु अपने रसुखातों के दम पर वह डेपुटेशन पर RVUNL के जयपुर हेड ऑफिस में आ जमे| जानकारों के अनुसार उनके मिजाज शुरू से ही आरामतलबी के रहे है,सूरतगढ़ रहते हुए तो शायद ही कभी ढंग से कोई काम किया होगा|जयपुर आकर भी उनके यही हाल शुरू हो गए|जानकारों के अनुसार वह दिन भर घर,मंदिर या फोकट के कामों में अपना सरकारी समय गुजारते है|ऑफिस जाते भी है तो केवल हाजिरी लगा कर चलते बनते है,शायद उन्हें रोकने-टोकने वाला कोई है ही नहीं या फिर वो भी इन महाशय की प्रवर्ती का ही लगता है|

## इस मामले में हो चुकी है शिकायत, जांच बिजली विभाग की कार्मिक एवं प्रशासन शाखा के पास

शहर के एक जागरूक नागरिक ने श्री बज के द्वारा सरकारी समय के दुरूपयोग किये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री महोदय से भी की है परन्तु इन महाशय की चमड़ी इतनी मोटी हो गयी है कि कुछ दिन सीधे चलने के बाद इनकी चाल वापस टेढ़ी हो जाती है|सुचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में बिजली विभाग की कार्मिक एवं प्रशासन शाखा जांच कर रही है|

## ना तो बायोमैट्रिक से हाजिरी और ना ही CCTV कैमरों से निगरानी

सुचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी से खुलासा हुआ कि विभाग के मुख्यालय में उनकी बायोमैट्रिक हाजिरी नहीं होती क्यूंकि वह डेपुटेशन पर आये हुए है|बिजली विभाग के मुख्य भवन में सुरक्षा का हाल ऐसा है कि कार्यालय में लगे CCTV कैमरे ही चालू नहीं है जिससे उनके आने-जाने की निगरानी की जा सके|

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा सवाई माधोपुर**

क्रमांकः- जिशिअ/प्रारं/समा/जाँच/2020/890 **विज्ञप्ति** दिनांकः 04.09.2020

अपने कर्त्तव्य पर उपस्थिति नहीं होने के कारण आरएसआर नियम 86 के अन्तर्गत नोटिस श्रीमती विजेता गुप्ता अध्यापिका पुत्री श्री विरेन्द्र गुप्ता राउप्रावि नन्दपुरा पं.स. गंगापुर सिटी, निवासी स्याही वाली गली, पटपड़ा पुराना शहर धौलपुर, पिन कोड-328001.

विषयः- अपने कर्त्तव्य से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने बाबत् नोटिस।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि आप नवीन नियुक्ति पर दिनांक 07.04.2018 को कार्यग्रहण करने के बाद 09.04 2018 को उपस्थिति देने के पश्चात बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण अवैतनिक अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर गयी एवं 09.05.2018 को पुनः विद्यालय में उपस्थित हुयी इसके पश्चात आप दिनांक-10.05.2018 से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित चली आ रही है जिसके लिए आपको प्रधानाचार्य/ पीईईओ राउमावि कुनकटा कलां पं.स. गंगापुर सिटी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक-07.04.2018, 21.04.2018, 03.08.2018, 16.10.2018, 15.11.2018 व 21.12.2018 द्वारा नियम 86 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। जिसका भी आपके द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। तत्पश्चात् जिशिअ मु. प्रारं शि. स.मा. द्वारा आपको पत्रांक-जिशिअ/प्रार/समा/जाँच/19/227 दिनांक-07.11.2019 द्वारा 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ज्ञापन आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये किन्तु आपके द्वारा उसका भी जवाब आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आप नोटिस जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस की अवधि में इस कार्यालय में उपस्थित होवें। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर आपके विरुद्ध आरएसआर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सेवा समाप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राधेश्याम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर

**राज्य के कई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे निकम्मे और नाकारा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते है जिनकी बानगी समाचार पत्रों के जरिये देखने को मिल जाती है|परन्तु कई भ्रष्ट अधिकारी अपने आला अधिकारियों से भी बना कर रखते और और होली दिवाली उनकी मिजाजपुर्सी करते रहते है,जिससे उनका बाल भी बांका नहीं होता|**

## आखिर क्यों पाल रही सरकार ऐसे सफ़ेद हाथियों को जनता की गाढ़ी कमाई पर?

श्री बज की तनख्वाह करीब 1 लाख रूपये महीने से भी अधिक है और उनके कोई प्रमोशन भी नहीं रुक रहे|ऐसे एक नहीं हजारों कर्मचारी है जो सरकारी समय में काम नही कर जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय करते है,ऐसे लोगो को बाहर का रास्ता दिखाना सरकार का कर्तव्य है|आम जनता का भी कर्तव्य है कि ऐसे भ्रष्ट,निक्कमे,नाकारा अधिकारियों,कर्मचारियों की जानकारी उजागर करे|

## जागरूक नागरिकों के लिए सुचना

**यदि आपको भी ऐसे भ्रष्ट,नाकारा और निक्कमे अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में जानकारी है तो हमें अवगत करवाए,जिससे कि इनके विरुद्ध सेवा नियमों के तहत राज्य सरकार/सक्षम स्तर पर कार्यवाही की मांग की जा सके|**

**संपर्क करें:-9828346151**